

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 63/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

Manish Jain Add.: 23, Sarvaritu vilas, near Jain Dharmashala, ward
no. 41, Girwa, Udaipur

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

.....प्रत्यर्थी



प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 13/06/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329888493855664 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 31.10.2023 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 8379197709 दिनांक 24.05.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/63/24/630-31 दिनांक 29.05.2024 से लिखा गया परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा कोई प्रत्युत्तर अथवा सूचना आदिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवायी गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार गिर्वा को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना उसे नियमानुसार निशुल्क 15 दिवस में उपलब्ध करावे तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावे। साथ ही प्रत्यर्थी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में नियत समयावधि में वांछित सूचनाएँ नियमानुसार उपलब्ध करावे एवं अपील में भी नियत समय में प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर